

बिहार विधान परिषद् सचिवालय
BLCS Recruitment Examination 2019
विज्ञापन सं.-06/2019
(सुरक्षा प्रहरी के पदों हेतु)


शारीरिक योग्यता परीक्षा का परीक्षाफल

बिहार विधान परिषद् सचिवालय के विज्ञापन सं.-06/2019 के आलोक में सुरक्षा प्रहरी के कुल 28 (अट्वाईस) रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु शारीरिक माप जांच/शारीरिक योग्यता परीक्षा दिनांक 22-12-2019 से 29-12-2019 तक आयोजित की गयी। इस परीक्षा के आधार पर अगले चरण की साक्षात्कार परीक्षा हेतु कोटिवार रिक्तियों के आलोक में सफल अभ्यर्थियों का अनुक्रमांकवार परीक्षाफल निम्नवत् है-

1901000088	1901009638	1901016141	1901022501	1901030725	1901037849	1901041694	1901046253
1901001467	1901011288	1901016343	1901022654	1901032742	1901038088	1901042025	1901048270
1901002400	1901011652	1901016757	1901022726	1901033261	1901038726	1901042332	1901048742
1901004845	1901011763	1901017612	1901025267	1901033550	1901038905	1901042564	1901049591
1901005283	1901012114	1901018007	1901026194	1901033927	1901039261	1901042647	1901050389
1901005478	1901012186	1901019227	1901026209	1901034230	1901039358	1901042779	1901051499
1901006508	1901013821	1901020516	1901026746	1901034792	1901039742	1901042860	1901052316
1901006598	1901014118	1901020580	1901027725	1901035090	1901040199	1901042913	
1901007520	1901014444	1901021371	1901028068	1901035909	1901041148	1901043356	
1901009261	1901015383	1901021870	1901028685	1901036154	1901041568	1901043957	
1901009599	1901015871	1901022206	1901030085	1901036662	1901041575	1901045464	

(2) ऑनलाईन आवेदन भरते समय उम्मीदवारों द्वारा आरक्षण कोटि, लिंग, जन्म तिथि इत्यादि की अंकित की गयी प्रविष्टियों के आधार पर ही उन्हें परीक्षाफल में सम्मिलित किया गया है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेवार होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि शारीरिक माप जांच/शारीरिक योग्यता परीक्षा में मात्र सफलता प्राप्त होने से ही किसी अभ्यर्थी की अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। सुरक्षा प्रहरी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु (1) शारीरिक माप जांच एवं शारीरिक योग्यता परीक्षा (दौड़) एवं (2) साक्षात्कार एवं अंतिम परीक्षाफल की प्रक्रिया के किसी भी चरण में उन सभी अभ्यर्थियों की अर्हता की समीक्षा करने के उपरान्त उस पर नियमानुसार यथोचित निर्णय लेने का अधिकार बिहार विधान परिषद् सचिवालय के पास सुरक्षित रहेगा।

(3) उपर्युक्त परीक्षाफल में सफल घोषित उम्मीदवारों में अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सहित) की कोटि के अन्तर्गत 39 (उनचालीस), अनुसूचित जाति कोटि के अन्तर्गत 14 (चौदह), अनुसूचित जनजाति कोटि के अन्तर्गत 01 (एक), पिछड़ा वर्ग कोटि के अन्तर्गत 11 (ग्यारह), पिछड़े वर्ग की महिला कोटि के अन्तर्गत 03 (तीन) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि के अन्तर्गत 16 (सोलह) कुल 84 (चौरासी) परीक्षार्थियों को सफल घोषित किया गया है।


05.12.2019
(विनोद कुमार)
कार्यकारी सचिव
बिहार विधान परिषद्